एस. पी. गोयल और डी. वी. सहगल, जे.जे. के समक्ष

समिता दहिया और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

एम. डी. विश्वविद्यालय, रोहतक और अन्य,-प्रतिवादी।

संशोधित सिविल रिट याचिका संख्या 4297 ऑफ़ 1985

जनवरी 21, 1986.

भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 14 और 15–महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम (1975 का XXV)–धारा 9-ए(5), 10 और 13–प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश–प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता प्रॉस्पेक्टस द्वारा शासित परीक्षा - प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है - योग्य उम्मीदवारों के आवश्यक प्रतिशत में छूट देने का अधिकार रखने वाले अधिकारी सामान्य और आरक्षित दोनों रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हैं - अनुपलब्धता आरक्षित सीटों के लिए अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या - आरक्षित सीटें अधूरी छोड़ दी गईं - क्या सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए खुली रखी जानी चाहिए - न्यूनतम मानक निर्धारित किए बिना अर्हक अंकों की शर्त में ढील देने की शक्ति - चाहे मनमाना हो - छूट का आदेश आवश्यक है सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाना चाहिए - वीडियो चांसलर द्वारा पारित ऐसा आदेश - क्या वैध है - कॉन्ट्रांस परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को हरियाणा का अधिवास होना आवश्यक है - निर्देशों में प्रयुक्त शब्द 'अधिवास' - का अर्थ।

माना गया कि प्रॉस्पेक्टस के अध्याय III के अंत में नोट (i) में प्रावधान है कि आरक्षित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा उस श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच होगी जिसके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं और आरक्षित सीटें गैर-जिम्मेदाराना कारणों से खाली रह जाएंगी। -योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता को ओपन मेरिट सीटों के अंतर्गत रखा जाएगा। यह स्पष्ट रूप से प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए बी उम्मीदवारों की पात्रता की बात करता है और इसका प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता से कोई लेना-देना नहीं है। पात्रता अध्याय के लिए आवश्यक है कि प्रवेश परीक्षा देने के लिए पात्र होने से पहले सभी उम्मीदवारों को प्री-मेडिकल परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। यदि आरक्षित सीटों के लिए प्री-मेडिकल परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं है, तो नोट लागू हो जाता है और जिस हद तक उनकी संख्या कम हो जाती है, सीटें उनके लिए खोल दी जाती हैं। सामान्य वर्ग. हालाँकि, अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अपेक्षित संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता के अभाव में आरक्षित सीटें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नहीं खोली जा सकती हैं।

(पैरा 4)

यह माना गया कि न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने की शक्तियां प्रदान करने वाले प्रॉस्पेक्टस के प्रावधान को मनमानी शक्तियां प्रदान करने वाला नहीं कहा जा सकता है, भले ही कोई न्यूनतम मानक निर्धारित नहीं किया गया हो। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए छूट की शक्ति को न तो अनुचित कहा जा सकता है और न ही संविधान के अनुच्छेद 15(1)(2) या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जा सकता है।

(पैरा 5)

माना गया कि छूट का आदेश केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया जा सकता है जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 की धारा 13 के साथ पठित धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद थी। अधिनियम की धारा 9-ए(5) के प्रावधानों के आधार पर, यदि कुलपति की राय है कि किसी भी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। या अधिनियम के तहत हालांकि उस कार्रवाई को अगली बैठक में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। परीक्षा में प्रवेश का मामला ऐसा था जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी और इसलिए, कुलपति द्वारा छूट की शक्ति का वैध रूप से प्रयोग किया गया था।

(पैरा 6)

यह माना गया कि 'अधिवास' शब्द का अपनी सामान्य स्वीकृति में अर्थ वह स्थान है जहाँ कोई व्यक्ति रहता है या उसका घर है। इस अर्थ में वह स्थान जहां किसी व्यक्ति का वास्तविक निवास, आवास या सहवास होता है, कभी-कभी उसका अधिवास कहा जाता है। सख्त और कानूनी अर्थ में, वह उचित रूप से किसी व्यक्ति का निवास स्थान है जहां उसका अपना वास्तविक निश्चित स्थायी घर और मुख्य प्रतिष्ठान है और जहां, जब भी वह अनुपस्थित होता है, तो लौटने का इरादा रखता है। जब इसके सख्त कानूनी अर्थ में समझा जाता है तो भारत के सभी नागरिकों के पास केवल एक ही अधिवास है, अर्थात भारतीय अधिवास और किसी को भी किसी विशेष राज्य में अधिवास नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अधिवास शब्द का उपयोग निर्देशों में हरियाणा राज्य में किसी व्यक्ति के वास्तविक निवास को दर्शाने के लिए किया गया है।

(पैरा 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि:
(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए जिसमें उत्तरदाताओं 1 और 2 को निर्देश दिया जाए कि वे उत्तरदाताओं संख्या 3 से 62 के स्थान पर याचिकाकर्ताओं को शामिल करें, सिवाय उन लोगों के जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।

(ii) उत्तरदाताओं को विषयवार सूचित करने के लिए निर्देशित किया जाए। सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक।
(हाय) कि न्यूनतम मानक में छूट देने की शक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 और अध्याय-3 के नोट (1) का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया जाए।
(iv) उत्तरदाताओं 1 और 2 को निर्देश देने वाला एक अंतरिम आदेश। याचिकाकर्ताओं को उनकी रिट याचिका के निर्णय के अधीन प्रवेश दें और कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दें।
(v) संशोधित याचिका को सी.डब्ल्यू.पी. के स्थान पर लगाने की अनुमति दी जाए। 1985 का क्रमांक 4297.
(vi) झूठे अधिवास पर दाखिला लेने वाले छात्रों और न्यूनतम मानक हासिल नहीं करने वाले उत्तरदाताओं का प्रवेश रद्द कर दिया जाए;
(vi) कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के रिकॉर्ड मंगाने के लिए सर्टिओरी प्रकृति की एक रिट जारी की जाए और उसके अवलोकन के बाद न्यूनतम मानक में ढील देने वाले किसी भी आदेश को रद्द कर दिया जाए;
(viii) कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, जारी किया जाएगा;
(ix) याचिका की लागत की अनुमति दी जाए;
(x) अनुबंध पी/1 को दाखिल करने से छूट दी जाए और पी/1 को सी.डब्ल्यू.पी. से जोड़ा जाए। इस याचिका में 1985 का 4297 पी/एल के रूप में पढ़ा जाए।

याचिकाकर्ता के वकील एस. बलहारा।

प्रतिवादी के लिए एच. एल. सिब्बल, एजी हरियाणा, एस. सी. सिब्बल, वकील के साथ।

निर्णय

एस. पी. गोयल, जे.

(1) यह निर्णय 1985 की पांच याचिकाओं, सिविल रिट याचिका संख्या 4060, 4276, -4297, 4302 और 4760 का निपटारा करेगा जो एम.बी.बी.एस. में प्रवेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई हैं। पाठ्यक्रम अगस्त 1985 में शुरू होने वाला था। इस निर्णय के प्रयोजन के लिए केवल 1985 की सिविल रिट याचिका संख्या 4297 के तथ्यों पर ध्यान दिया गया है।
(2) केवल 115 सीटें थीं जिनमें से 57 आरक्षित सीटें थीं और शेष खुली थीं। पाठ्यक्रम में प्रवेश वर्ष 1985 के लिए जारी प्रॉस्पेक्टस के प्रावधानों के अनुसार विनियमित और आयोजित

की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाना था। प्रवेश परीक्षा में प्रवेश की पात्रता प्रॉस्पेक्टस के अध्याय IV द्वारा नियंत्रित होती है। जिनमें से दो खंड केवल उसकी याचिका के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हैं। इस अध्याय के खंड I में प्रावधान है कि प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार के पास हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक में परिभाषित हरियाणा निवास/निवास होना चाहिए। 4863,-6-जीएसजे-77/19856, दिनांक 26 जुलाई, 1977। खंड IV(i) में प्रावधान है कि उम्मीदवार को एम.डी. की प्री-मेडिकल, परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी; विश्वविद्यालय, रोहतक या एम.डी. विश्वविद्यालय द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड से अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में कम से कम 50 प्रतिशत अंक, सभी को मिलाकर, प्रवेश।
परीक्षा को अध्याय V द्वारा विनियमित किया जाता है और इसका खंड 4, जिसके अधिकार को चुनौती दी गई है, इस प्रकार है:
“प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक उम्मीदवार को मेडिकल/डेंटल प्रवेश परीक्षा में सभी विज्ञान विषयों और अंग्रेजी में आवंटित कुल अंकों का कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में कुल अंकों का कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।
हालाँकि, यदि सामान्य और आरक्षित दोनों रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा में 50 प्रतिशत या 40 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले योग्य उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारियों के पास यह अधिकार होगा उपरोक्त शर्त को उस सीमा तक शिथिल करें, जहां तक वह उचित समझे।"

(3) प्रवेश परीक्षा में केवल एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार, चार भूतपूर्व सैनिक और एक पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को अर्हक अंक प्राप्त हुए। बाकी सीटें ऊपर दिए गए अध्याय V के खंड 4 के प्रावधानों में ढील देकर भरी गईं। इन दाखिलों के खिलाफ चुनौती तीन गुना है। सबसे पहले, अपेक्षित संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता के अभाव में आरक्षित सीटें। अर्हता प्राप्त अंक, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए खोल दिए जाने चाहिए थे, जैसा कि प्रॉस्पेक्टस के अध्याय HI के नोट (i) में परिकल्पित किया गया है। दूसरा, यह कि उक्त खंड के प्रावधान किसी न्यूनतम मानक को निर्धारित किए बिना योग्यता अंकों की शर्त को शिथिल करने की मनमानी शक्तियां प्रदान करते हैं। तीसरा, सक्षम प्राधिकारी ने योग्यता अंकों की शर्त में ढील देने वाला कोई आदेश कभी पारित नहीं किया। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रवेश को चुनौती के अलावा सिविल मिसेज में नामित 15 उत्तरदाताओं का प्रवेश। सामान्य श्रेणी के 1985 के आवेदन संख्या 2048 को भी इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे न तो वास्तविक निवासी थे और न ही प्रासंगिक समय पर हरियाणा के निवासी थे।

(4) अध्याय III के अंत में नोट (i) में प्रावधान है कि आरक्षित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा उस श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच होगी जिसके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं और आरक्षित सीटें अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाएंगी। पात्र उम्मीदवारों को खुली मेरिट सीटों के तहत रखा जाएगा। यह नोट स्पष्ट रूप से प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की पात्रता की बात करता है और इसका प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता से कोई लेना-देना नहीं है। पात्रता अध्याय के खंड IV (i) के लिए आवश्यक है कि सभी उम्मीदवारों को प्री-मेडिकल परीक्षा से पहले कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
वे प्रवेश परीक्षा देने के पात्र हो सकते हैं। यदि आरक्षित सीटों के लिए प्री-मेडिकल परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं है, तो यह नोट लागू हो जाता है और जिस हद तक उनकी संख्या कम हो जाती है, सीटें उनके लिए खोल दी जाती हैं। सामान्य वर्ग. इसलिए उठाया गया विवाद पूरी तरह से गलत है।

(5) दूसरा आधार यह है कि उक्त खंड IV के प्रावधान न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने की मनमानी शक्तियां प्रदान करते हैं, इसे मप्र राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक घोषणा के मद्देनजर खारिज कर दिया जाना चाहिए। और दूसरा बनाम कुमारी निवेदिता जैन और अन्य[1] जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में किसी भी हद तक ऐसी शर्त में छूट देने के सरकार के अधिकार को बरकरार रखा गया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने पैरा 26 में दी गई टिप्पणी पर भरोसा करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए पात्रता के अलावा चयन के लिए किसी प्रकार का न्यूनतम मानक होना चाहिए, उन्होंने आग्रह किया कि वर्तमान मामले में कोई न्यूनतम मानक निर्धारित नहीं किया गया है। विश्राम की शक्ति को मनमाना मानकर रद्द किया जा सकता था। उस अवलोकन के बावजूद, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के चयन के संबंध में नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट को अनुचित नहीं माना गया और न ही अनुच्छेद 15(1) और (2) का उल्लंघन किया गया। या संविधान के अनुच्छेद 14, क्योंकि कॉलेज में प्रवेश के बाद उन उम्मीदवारों के लिए मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा के मानक या अध्ययन के पाठ्यक्रम में कोई छूट नहीं थी और सभी छात्रों के लिए परीक्षा और पाठ्यक्रम का मानक समान रहता है।

(6) तीसरे आधार पर, तर्क दिया गया कि छूट का आदेश केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया जा सकता है, जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 की धारा 13 के साथ पठित धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार अकादमिक परिषद थी। विश्वविद्यालय। उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पता चला कि कुलपति द्वारा शिथिलता का आदेश पारित किया गया है। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि छूट का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा

[1] ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 2045

कभी पारित नहीं किया गया था। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने बताया कि उक्त अधिनियम की धारा 9-ए(; 5) के प्रावधानों के आधार पर, यदि कुलपति की राय है कि तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी मामले पर इस अधिनियम के तहत या इसके तहत विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है, हालांकि उस कार्रवाई को अगली बैठक में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। परीक्षा में प्रवेश का मामला ऐसा था जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी और इसलिए, कुलपति द्वारा छूट की शक्ति का वैध रूप से प्रयोग किया गया था। हालाँकि लिखित बयान में यह दिखाने के लिए कोई आधार नहीं रखा गया है कि किन परिस्थितियों में कुलपति द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया था, फिर भी इस आधार पर कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिका में भी कोई शिकायत नहीं की गई थी कि शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था। कानून के प्रावधानों के अनुसार. याचिका में एकमात्र बिंदु यह था कि छूट का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, यदि कोई था तो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था। याचिका में इस संबंध में आवश्यक कथनों की कमी के कारण लिखित बयान में भी कोई उचित कथन नहीं दिया गया। इसलिए, जैसा कि वे दलीलों पर कायम हैं, छूट के आदेश पर हमला करने के आग्रह को खारिज करना होगा।

(7) ऊपर उल्लिखित आवेदन में नामित 15 उत्तरदाताओं के निवास के प्रश्न पर, मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से हम पाते हैं कि विजेंद्र सरूप, कुमारी नमिता स्वरूप और कुमारी जया काक के अलावा अन्य सभी उत्तरदाताओं के पास निवास/निवास था। हरियाणा की संपत्ति के स्वामित्व के अलावा अन्य आधार पर। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उनके खिलाफ चुनौती पर जोर नहीं दिया गया। विजेंद्र सरूप और कुमारी नमिता स्वरूप दोनों ने प्रवेश का लाभ नहीं उठाया क्योंकि उन्होंने दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में समान प्रवेश प्राप्त किया था। इसलिए, मिस जया काक का प्रवेश केवल विवादित बना हुआ है। यह निर्विवाद है कि भले ही उनका प्रवेश रद्द कर दिया गया हो, किसी भी याचिका में कोई भी याचिकाकर्ता पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं पा सकेगा, उनके पास मिस जया काक के प्रवेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होगा। . इसके अलावा, हरियाणा सरकार के पत्र के अनुसार उसे अधिवास का प्रमाण पत्र दिया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके लिए उसका प्रवेश इस स्तर पर रद्द किया जा सकता है जब वह प्रवेश के लिए अपने अवसर का लाभ नहीं उठा सकती है। किसी अन्य राज्य में कुछ कॉलेज। किसी भी याचिका में उक्त पत्र की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है और इस कारण से मिस जया काक के प्रवेश को भी इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उन्हें हरियाणा का वास्तविक निवासी/निवास नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, हम यह देखने में असफल नहीं हो सकते कि ऊपर उल्लिखित सरकार के पत्र के कई खंड जो किसी विशेष व्यक्ति को मान्य निवास/अधिवास प्रदान करते हैं, चुनौती के लिए खुले हैं। जैसा कि 'डोमिसाइल' शब्द में कहा गया है

प्रेम कुमार बनाम पंजाब राज्य और अन्य (एस.एस. सोढ़ी, जे.) व्हार्टन लॉ लेक्सिकॉन, इसकी सामान्य स्वीकृति में, वह स्थान है जहां कोई व्यक्ति रहता है या उसका घर है। इस अर्थ में वह स्थान जहां किसी व्यक्ति का वास्तविक निवास, आवास या सहवास होता है, कभी-कभी उसका अधिवास कहा जाता है। एक सख्त और कानूनी अर्थ में, यह उचित रूप से एक व्यक्ति का निवास स्थान है जहां उसका अपना वास्तविक स्थायी घर और प्रमुख प्रतिष्ठान है, और जहां, जब भी वह अनुपस्थित होता है, तो उसका लौटने का इरादा होता है। जब इसे सख्त कानूनी अर्थ में समझा जाता है तो भारत के सभी नागरिकों के पास केवल एक ही अधिवास है, अर्थात भारतीय अधिवास और किसी को भी किसी विशेष राज्य में अधिवास नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि पत्र में अधिवास शब्द का उपयोग हरियाणा राज्य में किसी व्यक्ति के वास्तविक निवास को दर्शाने के लिए किया गया है। डी. पी. जोशी बनाम मध्य भारत राज्य और अन्य[2] मामले में, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में प्रवेश से संबंधित नियमों में प्रयुक्त शब्द, 'डोमिसाइल' का भी इसके लोकप्रिय अर्थ में उपयोग किया गया था। निवास का विचार ¬ing. यदि ऐसा है, तो केवल उन्हीं व्यक्तियों को हरियाणा का निवासी/निवासी माना जा सकता है जिनके पास या तो वास्तव में राज्य में स्थायी निवास है या प्रासंगिक समय पर स्थायी निवास था और फिलहाल अस्थायी रूप से राज्य के बाहर रह रहे हैं। हमने उचित चुनौती के अभाव के कारण उक्त पत्र के प्रत्येक खंड की वैधता पर विचार करने से परहेज किया है, लेकिन हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार ऊपर दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उन खंडों को फिर से तैयार करेगी।

(8) परिणामस्वरूप ये याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं। मामले की परिस्थितियों में पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

डी. वी. सहगल, जे- मैं सहमत हूं।
एन, के. एस.

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

---

[2] ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 334.

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा